[2023] 5 एस. सी. आर 103

गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड

वी.

एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस।

(2023 की सिविल अपील संख्या 3259)

1 मई, 2023

[दिनेश माहेश्वरी और सुधांशु धूलिया, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 8-विचाराधीन विवाद की मध्यस्थता आयोजितः मुख्य लाइसेंस को छोड़कर

समझौता, अन्य समझौतों में से किसी में भी कोई मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था, भले ही वे एक ही संपत्ति से संबंधित हों और इसमें अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 भी शामिल हों-भले ही मूल लाइसेंस समझौते को अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के संविदात्मक संबंधों की उत्पत्ति कहा जाता है, जो वास्तव में त्रिपक्षीय समझौते से उत्पन्न होने वाले विवाद के संबंध में मध्यस्थता समझौते की उपलब्धता की ओर नहीं ले जाता है और जिसे उक्त त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ के बिना और सभी पक्षों को शामिल किए बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता है-इस प्रकार, मध्यस्थता सहित कोई भी विवाद समाधान प्रक्रिया नहीं हो सकती है।

त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के संदर्भ के बिना और बैंक को शामिल किए बिना वाद के विषय-वस्तु के संबंध में किया गया-प्रतिवादी संख्या 2-यह इस तथ्य के अलावा है कि बाद के खरीदारों से संबंधित विवाद के अन्य तत्वों को भी त्रिपक्षीय समझौते और इसके संशोधित खंड के संदर्भ के बिना किसी भी मंच पर हल नहीं किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान नहीं थेः

मध्यस्थता-इस प्रकार, विचाराधीन विवाद के संबंध में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं है-मुकदमों में दावा की गई पर्याप्त राहत मूल लाइसेंस समझौते में मध्यस्थता खंड के बाहर आती है-इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अनुरोध को अस्वीकार करने में लिया गया दृष्टिकोण।

मध्यस्थता के संदर्भ के लिए अपीलार्थी का यू / एस. 8 को दोष नहीं दिया जा सकता है

- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 दिनांकित 07.04.2005 के प्रमुख समझौते को छोड़कर, किसी भी अन्य समझौते में कोई मध्यस्थता खंड नहीं था, भले ही वे एक ही संपत्ति से संबंधित हों और

इसमें अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 भी शामिल थे। बाद के लेन-देन में त्रिपक्षीय लेनदेन जैसे अन्य पक्ष भी शामिल थे।

1996 के अधिनियम की धारा 8 का संशोधन और संशोधित धारा 8 की व्याख्या में इस न्यायालय के बाद के निर्णय अपीलार्थी के लाभ के लिए नहीं हैं। यह सरल कारण है कि मूल लाइसेंस समझौते दिनांक 07.04.2005 और बैंक दिनांक 06.07.2006 और 23.01.2008 से जुड़े त्रिपक्षीय समझौते के लिए ऐसा कोई संयोजन प्रदान नहीं किया जा सकता है, जिसके तहत मध्यस्थता खंड को त्रिपक्षीय समझौते पर भी लागू किया जा सकता है। यह इस तथ्य के अलावा है कि मुकदमे के ढांचे में और विभिन्न अन्य राहतों का दावा किया गया है, जिसमें बाद वाले शामिल हैं। खरीदार भी और धोखाधड़ी के आरोप, विवाद को बिल्कुल भी मध्यस्थ नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान को मध्यस्थता के अस्तित्व के बारे में किसी भी "संदेह" से जुड़ा मामला नहीं कहा जा सकता है।

विचाराधीन विवाद के संबंध में समझौता। [पैरा 17,17.1] [137-एफ-जी; 138-ए-सी]

1.2 मुकदमे के पूरे विषय के संबंध में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं है,

और जब मुकदमों में दावा की गई मूल राहत मूल लाइसेंस समझौते में मध्यस्थता खंड के बाहर आती है, तो विचार

उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय किसी दुर्बलता से ग्रस्त या इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी सिद्धांत के खिलाफ प्रतीत नहीं होता है।

भले ही दूरस्थ वंशावली के संदर्भ में, मूल लाइसेंस समझौते को अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के संविदात्मक संबंधों की उत्पत्ति कहा जाता है, जो वास्तव में विचाराधीन विवाद के संबंध में मध्यस्थता समझौते की उपलब्धता की ओर नहीं ले जाता है, जो त्रिपक्षीय समझौते से उत्पन्न होता है और जिसे इसके संदर्भ के बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता है:

उक्त त्रिपक्षीय समझौते में सभी पक्षों को शामिल किए बिना। दूसरे शब्दों में, मध्यस्थता सहित कोई भी विवाद समाधान प्रक्रिया, मुकदमे के विषय-वस्तु के संबंध में त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के संदर्भ के बिना और बैंक-प्रतिवादी संख्या 2 को शामिल किए बिना नहीं की जा सकती है।

यह गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड v के अलावा है। एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस।

त्रिपक्षीय समझौते और उसके संशोधित खंड के संदर्भ के बिना, जिसमें मध्यस्थता का प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों में, त्रिपक्षीय समझौते के पूर्वजों से अपीलार्थी द्वारा वांछित परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए, विद्या द्रोलिया में प्रतिपादित सिद्धांतों पर भी, धारा 8 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए वर्तमान अपीलार्थी की प्रार्थना दिया नहीं जा सकता। तथ्यों और वर्तमान मामले की परिस्थितियों और लेन-देन की प्रकृति के साथ-साथ मुकदमे में दावा की गई राहत की प्रकृति पर, वाणिज्यिक न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार करने में लिया गया दृष्टिकोण।

मध्यस्थता के संदर्भ के लिए दोष नहीं दिया जा सकता है। [पैरा 17.2,18,18.1 और 20] [138-डी-एच; 140-बी-सी]

विद्या द्रोलिया और ओआरएस। वी. दुर्गा व्यापार निगम (2021) 2 एस. सी. सी. 1; अमित लालचंद शाह और अन्य। वी. ऋषभ एंटरप्राइजेज और एएनआर। (2018) 15 एससीसी 678:

[2018] 6 एससीआर 1001; ओएनजीसी लिमिटेड बनाम। खोज

उद्यम (2022) 8 एस. सी. सी. 42; अंतरमहाद्वीपीय होटल बनाम। वाटरलाइन होटल (2022) 7 एस. सी. सी. 662-प्रतिष्ठित।

[2010] 13 एससीआर 207; डॉयचे बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड बनाम। तडूरी श्रीधर और अन्न। (2011) 11 एससीसी 375: [2011] 5 एससीआर 674; हिमांगी एंटरप्राइजेज बनाम। कमलजीत सिंह अहलुवालिया (2017) 10 एस. सी. सी. 706: [2017] 10 एससीआर 139 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2003] 3 एससीआर 558

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.2

[2018] 6 एससीआर 1001

प्रतिष्ठित

पैरा 6.2

[2010] 13 एससीआर 207

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.5

[2011] 5 एससीआर 674

प्रतिष्ठित

पैरा 7.5

[2017] 10 एससीआर 139

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3259

2023 तक।

2018 के एफ. ए. सं. 588 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 23.04.2018 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की सिविल अपील सं. 3260।

निखिल गोयल, अनिरुद्ध देशमुख, आदित्य कोशी रॉय,

सुश्री नवीन गोयल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

रमेश सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , बीजू मट्टम, राहुल सिंह, एन. डी. कौशिक, सतीश कुमार, अविष्कार सिंघवी, रोहन शर्मा, प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित, अलापति साहित्य कृष्ण, दुष्यंत पाराशर, भास्कर, मनु पाराशर, दिनेश पांडे, हर्षवर्धन सिंह राठौर, मुथुवेल पलानी एम., अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

छुट्टी दे दी गई।

2. इन अपीलों को आम लोगों के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित 23.04.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने पहली अपील संख्या को खारिज कर दिया है। 588 वाणिज्यिक न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर 2018 का आदेश और 2018 का 587, वाणिज्यिक दीवानी मुकदमा संख्या में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत आवेदनों को खारिज करते हुए। 90 2017 का क्रमशः और 2017 का 91। इन दोनों अपीलों पर, जिसमें विवाद की मध्यस्थता से संबंधित सामान्य प्रश्न शामिल हैं, एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटारे के लिए लिया जा रहा है।

3. निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले बिंदुओं के लिए प्रासंगिक सीमा तक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान देना उचित होगा।

वर्तमान अपीलें। तथ्यात्मक कालक्रम की समानताओं को देखते हुए, कुछ तथ्यों को ध्यान में रखने के अलावा, 2018 के एसएलपी (सी) संख्या 16932 से उत्पन्न होने वाली अपील (उच्च न्यायालय में 2018 की

पहली अपील संख्या 588 से संबंधित, 2017 के वाणिज्यिक दीवानी मुकदमा संख्या 90 में पारित आदेश से उत्पन्न) को प्रमुखता देना उचित होगा।

जो संज्ञानात्मक अपील में प्रासंगिक हो सकता है।

1 इसके बाद इसे '1996 का अधिनियम' या केवल 'अधिनियम' भी कहा जाता है।

गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड v. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

3.1 . 07.04.2005 पर, अपीलार्थी ने दो लाइसेंस दर्ज किए

पीसना, प्रति तिमाही लाइसेंस शुल्क के साथ रु। 5,00,000 / - (भूमि और भवन के साथ-साथ कारखाने की मशीनरी और उपकरणों के संयुक्त उपयोग के लिए पांच लाख रुपये)। प्रतिवादी संख्या 1 की सहयोगी संस्था के साथ दूसरा समझौता दूसरे के संचालन के लिए लाइसेंस देने के लिए था। अपीलार्थी की विनिर्माण इकाई, ए. सी. प्रेशर पाइप होने के नाते, प्रति तिमाही संचयी लाइसेंस शुल्क रु। 2,00,000 / - (दो लाख रुपये)। दोनों समझौते एक ही प्रकृति के थे और 7 साल (84 महीने) की अवधि के लिए निष्पादित किए गए थे। के प्रासंगिक खंड

समझौता

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच दर्ज की गई जानकारी को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः -

" 3. निर्माण के लिए लाइसेंस की अवधि एक के लिए होगी

84 महीनों की अवधि, जिसे 84 महीनों की आगे की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है

जिस तारीख को एल. आई. सी. एन. एस. ई. लेता है, उस तारीख से पारस्परिक सहमति पर

पूरा होने के बाद उत्पादन और विनिर्माण सुविधाओं पर आवश्यक निरीक्षण और सूची का संकलन

यहाँ निर्धारित किया गया है। उक्त अधिग्रहण पूरी तरह से और विधिवत होगा। दोनों पक्षों की लिखित स्वीकृति द्वारा प्रमाणित, और

यह इस लाइसेंस समझौते का एक हिस्सा होगा।

***

***

***

कार्यालय भवन सहित भवन और रु. 4,00,000 (चार रुपये) कारखाने की मशीनरी के उपयोग के लिए प्रति तिमाही केवल लाख) और

उपकरण। लाइसेंस शुल्क का भुगतान समाप्ति के 21 दिनों के भीतर किया जाएगा। चौथाई से।

***

***

***

12. एल. आई. सी. एन. एस. ई. बंधक, असाइन, लाइसेंस का हकदार नहीं होगा।

या उक्त इकाई को सबलेट करें। हालांकि, लाइसेंसधारक को इसके लिए स्वतंत्रता होगी - बंधक/शुल्क, कच्चा माल, तैयार माल पुस्तक ऋण

ऐसी व्यवस्था जिसे अलग से चिन्हित और बीमित रखा जाएगा।
***

***

***

2 इसके बाद इसे 'बहन चिंता' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. एल. आई. सी. एन. एस. ओ. आर. अपनी विनिर्माण सुविधाओं, लाइसेंस, ब्रांड सद्भावना आदि के उपयोग पर विचार करते हुए खंड 8 के तहत देय लाइसेंस शुल्क के अलावा बोनस का हकदार होगा, जैसा कि नीचे बताया गया हैः

आई. 14 % अर्जित लाभ का बरकरार रखा हुआ लाभ इसमें होगा।

व्यवस्था और शेष 86 प्रतिशत निम्नानुसार वितरित किया जाएगाः

क) लाइसेंसी द्वारा लाइसेंसर को देय बोनस

यह खंड विभाज्य लाभ का घटाकर 43 प्रतिशत होगा।

उपरोक्त खंड 8 के अनुसार देय लाइसेंस शुल्क। इस घटना में

बोनस की राशि नकारात्मक निकलती है, फिर लाइसेंसर

इस राशि की प्रतिपूर्ति एल. आई. सी. एन. एस. ई. को करने के लिए उत्तरदायी होगा

तिमाही से तिमाही आधार पर।

ख) बरकरार रखा गया लाभ हमेशा का होगा

ग) लाभ और हानि की गणना और उसका वितरण। यह तिमाही आधार पर किया जाएगा।

ii. इस उद्देश्य के लिए लाभ का अर्थ है अर्जित परिचालन लाभ/हानि।

तिमाही के दौरान, कार्यशील पूंजी पर ब्याज घटाने के बाद

और एल. आई. सी. एन. एस. ई. द्वारा जोड़ी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, लेकिन इससे पहले

खंड 8 में निर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क वसूल करना। संचालन

लाभ का निर्धारण स्वीकृत लेखांकन के आधार पर किया जाएगा।

सिद्धांत।

***

***

***

इसके सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए आपसी सहमति हो सकती है। समझौता।

***

***

***

32. इस समझौते से उत्पन्न होने वाले विवाद, यदि कोई हों, को पारस्परिक रूप से सहमत होने पर एकल मध्यस्थ के मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जिसमें विफल रहने पर

मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और सुलह अधिनियम, 1996। मध्यस्थता का स्थान पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा लेकिन अधिमानतः दिल्ली में। गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड v.

एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

3.2 . उसी तारीख को, यानी 07.04.2005, अपीलार्थी-लाइसेंसकर्ता, प्रतिवादी-लाइसेंसधारी के बीच एक पूरक समझौता भी निष्पादित किया गया था,

और बहन पुष्टि करने वाले पक्ष के रूप में चिंतित है। इस समझौते की शर्तों के अनुसार, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से अपने लेनदारों, कर्मचारियों के साथ भी समझौता करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।

अपने बकाया के निर्वहन के लिए वैधानिक प्राधिकरणों के रूप में। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 रुपये की राशि अग्रिम देने के लिए सहमत हो गया। 5,30,00,000 / - (पाँच करोड़ तीस लाख रुपये) अपीलार्थी को प्रति वर्ष 10 प्रतिशत ब्याज के साथ और

प्रदान की गई वित्तीय सहायता पर विचार करते हुए, यह सहमति हुई कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को तदर्थ अग्रिम प्राप्त करने के लिए तीन लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण इकाइयों पर बंधक बनाने की अनुमति दी जाएगी। यह अग्रिम मुख्य समझौते के खंड 8 और 15 के तहत लाइसेंस शुल्क और बोनस से तदर्थ अग्रिम के भुगतान के 90 वें दिन से शुरू होने वाली दस तिमाही किश्तों में वसूल करने योग्य था। कुछ. दिनांकित 07.04.2005 पूरक समझौते के प्रासंगिक खंडों को भी उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः -

" अब, इसलिए, परिसर और इसमें निर्धारित पारस्परिक समझौतों पर विचार करते हुए, और 7 अप्रैल 2005 के मुख्य लाइसेंस समझौते में भी और अन्य अच्छे और मूल्यवान विचारों के लिए, पक्षकार एतद्वारा निम्नानुसार सहमत हैंः

1. एल. आई. सी. ए. एन. एस. ओ. आर. ने एल. आई. सी. ए. एन. एस. ई. से ऋणदाताओं, कर्मचारियों और वैधानिक अधिकारियों के साथ उनके बकाया के निर्वहन के लिए एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए कुछ वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।

2. एल. आई. सी. एन. एस. ई., एल. आई. सी. एन. एस. ओ. आर. और कन्फर्मिंग पार्टी और मुख्य समझौते के बीच 7 अप्रैल 2005 के मुख्य समझौते के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने पर विचार कर रहा है।

जिसमें ए. सी. पाइपों, ए. सी. शीटों का सुचारू संचालन और सीमेंट इकाइयों ने रुपये की राशि अग्रिम देने पर सहमति व्यक्त की है। 5,30,00,000

(पाँच करोड़ तीस लाख रुपये केवल) लाइसेंसर को 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाएगी।

एल. आई. सी. एन. एस. ओ. आर. की मंजूरी प्राप्त होने के बाद आराम करता है

मुख्य समझौते के खंड 4 के अनुसार लेनदार और ए. सी. शीट, ए. सी. पाइप और सीमेंट निर्माण इकाई पर बंधक के निर्माण पर, जिसमें भवन, संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं,

उपरोक्त तदर्थ अग्रिम प्राप्त करने के लिए लाइसेंस। एल. आई. सी. एन. एस. ओ. आर. अपने सुरक्षित लेनदारों के साथ उनके बकाया [2023] 5 एस. सी. आर. के लिए डाउन पेमेंट करके समझौता करने के लिए उक्त (अवैध) का उपयोग करेगा।

और सहमत तरीके से शेष राशि के भुगतान के लिए और उपरोक्त समझौते के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए और श्रमिकों के बकाया, वैधानिक देनदारियों आदि के भुगतान सहित एल. आई. सी. ए. एन. एस. ओ. आर. की विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण देनदारियों का भुगतान और निर्वहन करने के लिए। यह अग्रिम राशि उस पर ब्याज के साथ दस में वसूली योग्य होगी। (10) तिमाही

तदर्थ अग्रिम राशि के भुगतान के 90 वें दिन से शुरू होने वाली किश्तें, खंड के अनुसार देय लाइसेंस शुल्क में से

8 और मुख्य समझौते के खंड 15 के अनुसार बोनस।

3.3 . तत्पश्चात, मूल अनुज्ञप्ति के खंड 11 और 15 (परिसंपत्तियों की पुनर्खरीद और अनुज्ञप्तिधारक की पात्रता से संबंधित)) को अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच दिनांकित 25.06.2005 के संशोधन के निष्पादन के माध्यम से संशोधित किया गया था।

संशोधित खंड निम्नानुसार पढ़े जाते हैं: -

संयंत्र के सुचारू संचालन के लिए मशीनरी, भवन या किसी अन्य अचल संपत्ति में आवश्यक संशोधन/जोड़/परिवर्तन। Rs.25000/- (केवल पच्चीस हजार रुपये) की सीमा तक के छोटे खर्चों को पी एंड एल खाते में डेबिट किया जा सकता है और निर्दिष्ट राशि से अधिक के खर्चों को पूंजीकृत किया जाएगा और निम्नलिखित अनुपात में दोनों पक्षों द्वारा वित्त पोषित।

(i) अनुज्ञापत्रदाता: 43 %

(ख) अनुज्ञप्तिधारी: 57 % इस तरह के खर्चों को पारस्परिक रूप से और विधिवत रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।

स्थिर परिसंपत्तियों में इन परिवर्धनों पर मूल्यह्रास होगा

स्ट्रेट लाइन विधि के अनुसार कंपनी अधिनियम में निर्दिष्ट दरों पर गणना की जाती है। अनुज्ञप्ति अवधि के निर्धारण पर अनुज्ञप्तिधारक इन परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए बाध्य होगा।

लिखित डाउन मूल्य।

ख) खंड No.15: एल. आई. सी. ए. एन. एस. ओ. आर. अपनी विनिर्माण सुविधाओं, लाइसेंस, ब्रांड सद्भावना आदि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए खंड-8 के तहत देय लाइसेंस शुल्क के अलावा बोनस का हकदार होगा, जैसा कि नीचे बताया गया है।

i) इसके तहत लाइसेंसधारक को लाइसेंस द्वारा देय बोनस

खंड लाभ का 43 प्रतिशत होगा। इस प्रकार देय बोनस को समझौते के खंड 8 के अनुसार देय लाइसेंस शुल्क की राशि से कम किया जाएगा। हालांकि, नुकसान की स्थिति में, लाइसेंसर गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड v.

एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

एल. आई. सी. ए. एन. एस. ई. को कुल नुकसान का 43 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

एक चौथाई से एक चौथाई आधार पर।

(ii) लाभ और हानि की गणना और उसके वितरण का विवरण होगा -

अस्थायी रूप से वार्षिक लेखापरीक्षित खातों पर आधारित। iii) इस उद्देश्य के लिए लाभ/हानि का अर्थ है कार्यशील पूंजी पर ब्याज की कटौती और एल. आई. सी. एन. एस. ई. द्वारा जोड़ी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के बाद अर्जित लाभ/हानि, लेकिन लाइसेंस शुल्क में बदलाव करने से पहले।

खंड सं. 8 में विनिर्दिष्ट। लाभ/हानि का आंकलन किया जाएगा

स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का आधार।

3.4 . इसके बाद, 06.07.2006 पर, एक त्रिपक्षीय समझौते को अपीलार्थी, प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा और उनके बीच निष्पादित किया गया था।

(बैंक ऑफ बड़ौदा 3) रुपये के ऋण को मंजूरी देने पर। 500 प्रत्यर्थी संख्या 1 को एक लाख। अपीलार्थी ने पहला आरोप लगाने पर सहमति व्यक्त की

स्थिर परिसंपत्तियाँ, जो केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 की सहमति से जारी की जानी थीं। हालाँकि, यह भी निर्धारित किया गया था कि यदि कॉर्पोरेट ऋण का भुगतान किया जाता है अपीलार्थी द्वारा सीधे बैंक को किया गया था, पहला आरोप प्रत्यर्थी संख्या 1 की सहमति के बिना जारी किया जा सकता था। दिनांकित 06.07.2006 त्रिपक्षीय समझौते के प्रासंगिक खंडों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः -

" जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेसर्स को Rs.500 लाख के कॉर्पोरेट ऋण को मंजूरी दी है। मंजूरी पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों पर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य शर्तों और कॉर्पोरेट गारंटी के अलावा इस उपरोक्त ऋण को सुरक्षित करने के लिए एम/एस द्वारा प्रदान किया गया। गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड।

आगे एम/एस। गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड ने स्वीकृत अधिनियम में निर्धारित स्थिर परिसंपत्तियों पर पहला शुल्क लगाने पर सहमति व्यक्त की है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के पक्ष में पत्र।

आगे एम/एस। गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड ने सहमति व्यक्त की है कि पहला शुल्क बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा केवल मेसर्स की सहमति से जारी किया जाएगा। उक्त के पुनर्भुगतान के बाद भी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

ऋण लें। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेसर्स की सहमति से ही पहला शुल्क जारी करने पर सहमति व्यक्त की। ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। हालाँकि मामले में एम/एस। गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड 1 लाख रुपये के इस

कॉर्पोरेट ऋण का भुगतान सीधे बैंक ऑफ बड़ौदा को करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की सहमति के बिना पहला शुल्क जारी करेगा एम/एस। ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड "

3 इसके बाद इसे 'बैंक' भी कहा जाता है।

3.5 . 23.01.2008 पर उपरोक्त त्रिपक्षीय समझौते में एक संशोधन पेश किया गया था, ताकि लाइसेंस समझौतों की अवधि के दौरान अपीलार्थी की भूमि के स्वामित्व विलेखों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया जा सके।

संशोधित शर्त इस प्रकार हैः -

" आगे एम/एस। गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा मेसर्स की सहमति से ही फर्स्ट चार्ज जारी किया जाएगा। उक्त ऋण के पुनर्भुगतान के बाद भी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेसर्स की सहमति से ही पहला शुल्क जारी करने पर सहमति व्यक्त की। ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। हालांकि, मामले में एम/एस। गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड इस कॉरपोरेट ऋण के खिलाफ बकाया राशि का भुगतान सीधे बैंक ऑफ बड़ौदा को करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा मेसर्स की सहमति के बिना पहला शुल्क जारी करेगा। ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। लेकिन मैसर्स गुजरात कम्पोजिट इस बात से सहमत है कि भूमि के स्वामित्व विलेख नहीं होंगे
मेसर्स के बीच निष्पादित लाइसेंस समझौतों की मुद्रा के दौरान किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित। ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और

एम/एस। गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड

3.6 . वर्तमान मामले में विवाद प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दिनांकित 22.02.2012 के अभ्यावेदन के माध्यम से, के खंड 3 को लागू करने के बाद उत्पन्न हुआ

मूल लाइसेंस समझौता और अपीलार्थी से लाइसेंस समझौते की अवधि को 84 महीने की और अवधि के लिए बढ़ाने का आह्वान किया। यह विस्तार इसलिए मांगा गया था क्योंकि अपीलकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 को देय कुछ देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ था और उसने भुगतान की व्यवस्था करने के लिए समय मांगा था। इस अभ्यावेदन के जवाब में, अपीलार्थी ने दिनांकित पत्र के माध्यम से

29.02.2012 , प्रत्यर्थी संख्या 1 के लाइसेंस समझौते की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ-साथ अनुमानित बकाया राशि को भी अस्वीकार कर दिया। बाद में, 06.04.2012 पर, जो मूल लाइसेंस समझौते की अवधि पूरी होने की तारीख थी, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कब्जा नहीं सौंपा और इसके बजाय, कब्जा जारी रखने के अपने इरादे की घोषणा की। अपीलार्थी के अनुसार, अप्रैल 2012 और मार्च 2015 के बीच, विवाद को हल करने के लिए कुछ प्रयास किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह प्रतिवादी संख्या 1 के मामले का भी एक हिस्सा है कि भूमि के कुछ भागों को हस्तांतरित किया गया था।

उत्तरदाता सं। 3 जनवरी 2015 में 5 तक। 3.7 . फिर, 07.04.2015 पर, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को नोटिस जारी किया जिसमें विनिर्माण इकाइयों के कब्जे की वसूली का दावा किया गया था

साथ ही कुछ मौद्रिक बकाया भी। नोटिस में, अपीलार्थी ने कहा कि लाइसेंस बिना किसी विस्तार के समय के प्रवाह से समाप्त हो गया था, इसलिए

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कब्जा अवैध था। इसके अलावा, अपीलार्थी ने गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड v का दावा किया।

एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक बड़ा बकाया देय था। दिनांक 1 के जवाब में, प्रतिवादी संख्या 1 ने इन दावों पर विवाद किया और जोर देकर कहा कि अपीलकर्ताओं ने अपनी वैध रूप से दावा की गई राशि का भुगतान करने की परवाह नहीं की थी। फिर भी, 26.08.2015 से 17.11.2016 के बीच, विवाद को हल करने के प्रयास किए गए लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। यह देखते हुए कि विवाद को हल करने के प्रयास विफल हो गए थे, अपीलार्थी ने 1996 के अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 को लाइसेंस समझौते (खंड 32) में निहित मध्यस्थता के प्रावधान का आह्वान करते हुए एक नोटिस दिया। उत्तरदाता संख्या 1 ने इस सूचना का उत्तर दिया

27.03.2017 पर, विवाद की मध्यस्थता का विरोध करते हुए क्योंकि यह अन्य संबंधित लेनदेन और उससे उत्पन्न होने वाले अनसुलझे मुद्दों के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। यह दावा किया गया था कि चूंकि मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र समझौते से प्राप्त हुआ था, इसलिए कथित विवाद का निर्णय उक्त समझौते के दायरे से परे जाएगा।

3.8 . घटनाओं की इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी ने 26.04.2017 पर गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक समग्र मध्यस्थता याचिका को प्राथमिकता दी

2017 का आई. ए. ए. पी. सं. 63 प्रत्यर्थी सं. 1 और उसकी सहयोगी संस्था के खिलाफ। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1-ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड-ने निम्नलिखित प्रतिवादियों के साथ अहमदाबाद में वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष 2017 की संख्या 90 वाला एक वाणिज्यिक दीवानी मुकदमा दायर कियाः

1. गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड

2. बैंक ऑफ बड़ौदा

3. रियल होम कॉर्पोरेशन-एक साझेदारी फर्म

4. एम/एस। राज निगम (पुष्टि करने वाली पार्टी)-साझेदारी फर्म

5. राजद बिल्डकॉन लिमिटेड

3.8. 1 . उक्त मुकदमे में, प्रतिवादी संख्या 1 (वादी) ने निम्नलिखित शब्दों में कई राहतों के लिए प्रार्थना कीः -

" 33) इसलिए वादी प्रार्थना करता है किः

(ए) यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1 को वादी को मुकदमे की तारीख से इस डिक्री के तहत प्राप्ति तक प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 66 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।
यह माननीय न्यायालय;

(ख) यह माननीय न्यायालय यह अभिनिर्धारित कर सकता है और घोषणा कर सकता है कि दिनांक 23 जनवरी, 2015 के प्रेषण विलेखों ने 5 एस. सी. आर. को पंजीकृत किया है।

पंजीकरण सं। 742 और 750 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी Nos.3 और 5 के पक्ष में शून्य और शून्य के रूप में निष्पादित किया गया;

(ग) यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए प्रसन्न हो सकता है। 1 , 3 , 4 और 5 या उनके एजेंट, निष्पादक, या प्रशासकों को वादी को परेशान करने या बाधित करने से

आरोपमुक्त किए जाने तक मुक़दमे की संपत्ति का कब्जा;

((घ) यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 बैंक को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में मूल स्वामित्व पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जारी नहीं करने का निर्देश दे सकता है। 1 , 3 और/या 4:

(ई) यह माननीय न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने और घोषित करने के लिए प्रसन्न हो सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के बीच 23 जनवरी, 2015 को किया गया हस्तांतरण विलेख अमान्य है और

शून्य;

(च) यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 को ए. सी. शीट और सीमेंट के संचालन से संबंधित या उससे संबंधित वादी की सभी वर्तमान संपत्तियों को लेने का निर्देश दे सकता है। लाइसेंस समझौते के तहत विनिर्माण इकाई अपने बही मूल्य पर और यदि आवश्यक हो तो कब्जा सौंपते समय उपलब्ध वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए वादी को भुगतान करें।

3.9 . अपीलार्थी द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत उक्त वाणिज्यिक दीवानी मुकदमे में एक आवेदन दायर किया गया था।

2017 विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए। अपीलार्थी के लिखित बयान में, लाइसेंस समझौते में मध्यस्थता खंड को देखते हुए वाणिज्यिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ भी आपत्ति जताई गई थी।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आवेदन का जवाब दाखिल किया और अपीलार्थी ने 03.07.2017 पर उपरोक्त जवाब के जवाब में एक हलफनामा दायर किया।

3.10 . 1996 के अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त आवेदन के संबंध में, एक अन्य सामग्री कारक भी हो सकता है

गौर किया जाए। दो ज्ञापन (पर्सिस), 06.12.2017 पर वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दायर किए गए। ज्ञापनों में से एक में, प्रतिवादी संख्या। 3 5 (विचाराधीन संपत्ति के बाद के खरीदारों) ने कथित रूप से कहा कि यदि उनसे संबंधित विवाद को मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा हल किया गया था तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अपीलार्थी ने सम तिथि के एक अन्य ज्ञापन द्वारा सुझाव दिया कि त्रिपक्षीय संशोधित समझौता लाइसेंस समझौते के संदर्भ में था और यह सहमति हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलार्थी) के समय तक रुपये की राशि का भुगतान करना।

गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड v. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

5 वादी को एक करोड़ रुपये, अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख बैंक के पास रहेंगे। अपीलार्थी ने सुझाव दिया कि इस विचार के साथ कि पक्षों के बीच विवाद को मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा हल किया जाना चाहिए, सभी विवादों को खुला रखते हुए, वे रुपये की उक्त राशि जमा करेंगे। 5 यह कि इस तरह से प्रतिवादी संख्या 2 के साथ विवाद समाप्त हो जाएगा और फिर, जिस बैंक को स्वामित्व विलेख सौंपा गया था, वह इसे अदालत में जमा करेगा और अदालत इसे तब तक सीलबंद लिफाफे में रखेगी जब तक कि अन्य पक्षों के विवाद का मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा समाधान नहीं हो जाता।

3.11 . 1996 के अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में मध्यस्थता के संदर्भ के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना पर वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्वीकार करने से पहले, हम कथन को पूरा कर सकते हैं।

1996 , कालक्रम से थोड़ा विचलित होते हुए भी। 2017 की उक्त आई. ए. ए. पी. संख्या 63 को 07.07.2017 पर वापस ले लिया गया था, क्योंकि यह एक समग्र था। प्रतिवादी संख्या 1 और उसकी बहन दोनों के खिलाफ याचिका नई याचिकाएं दायर करने की स्वतंत्रता के साथ है। इसके बाद, दो अलग-अलग आई. ए. ए. पी. आई. ए. ए. पी. नं.

90 2017 का 2017 और 2017 का 89 अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए थे, लेकिन उसमें कार्यवाही अंततः दिनांक 15.12.2017 के सामान्य आदेश में समाप्त हुई। उच्च न्यायालय ने उन आवेदनों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में अपीलार्थी की प्रार्थना को वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 13.12.2017 पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन अपीलार्थी को चुनौती पर निर्णय के बाद अधिनियम की धारा 11 के तहत नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ।

वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश। चाहे जो भी हो, यह पहलू वर्तमान उद्देश्य के लिए उतना प्रासंगिक नहीं है और इसे वहीं छोड़ दिया जा सकता है।

4. अहमदाबाद के वाणिज्यिक न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश में 1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि त्रिपक्षीय समझौते में कोई मध्यस्थता खंड नहीं था और मध्यस्थता को प्रभावी बनाने या उस पर विचार करने के लिए मूल या पूरक लाइसेंस समझौते का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था त्रिपक्षीय समझौते के एक भाग और अंश के रूप में खंड। दिनांक 1 के अनुज्ञप्ति समझौते के खंड 32 का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि मध्यस्थता खंड अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 1 पर लागू था, विशेष रूप से मूल अनुज्ञप्ति समझौते और पूरक अनुज्ञप्ति समझौते के संदर्भ में, लेकिन इसे विभिन्न पक्षों के साथ बाद के लेनदेन और समझौतों पर लागू करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता था।

4.1 . उपरोक्त टिप्पणियों के अनुरूप, वाणिज्यिक न्यायालय ने यह भी माना कि एक वैध मध्यस्थता होनी चाहिए

1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए न्यायालय की शक्तियों को लागू करने के लिए समझौता। यह भी देखा गया कि जो व्यक्ति मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं, उन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाध्यकारी प्रभाव केवल पक्षकारों पर लागू होगा, अर्थात, अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 1। इसलिए, यदि विवाद मध्यस्थता समझौते के पक्षों और गैर-पक्षों के बीच था, तो मध्यस्थ की नियुक्ति केवल पक्षों के संबंध में की जा सकती थी। वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रासंगिक भागों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः -

" 15 ..... इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मध्यस्थता खंड नहीं डाला गया है और न ही दोनों के बीच निष्पादित लाइसेंस समझौते या पूरक लाइसेंस समझौते के बारे में कोई संदर्भ दिया गया है।

वादी, प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2।
16. यहां तक कि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच निष्पादित लाइसेंस समझौते की मद संख्या 32 का अवलोकन करते हुए, जिसमें पक्षों के बीच स्पष्ट रूप से सहमति हुई है।

इस समझौते से उत्पन्न होने वाले उस विवाद को, यदि कोई हो, मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि मध्यस्थता खंड वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के लिए बाध्यकारी है।

केवल और वह भी लाइसेंस समझौते से संबंधित / पूरक लाइसेंस समझौता और इसे प्रभावी और विस्तारित नहीं किया जा सकता है और बाद के लेनदेन और/या वादी और उसके बीच इस तरह से निष्पादित समझौतों पर लागू किया जा सकता है।

अजनबियों के साथ प्रतिवादी नंबर 1।

17. अब सवाल यह उठता है कि "मध्यस्थता समझौता" और/या "एक वैध मध्यस्थता समझौता" क्या है? उपरोक्त मुद्दे को पूरा करने के लिए, धारा 7 के प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम के लिए एक नज़र रखने की आवश्यकता है जिसमें मध्यस्थता समझौते का अर्थ है पक्षों के बीच एक समझौता जिसे प्रस्तुत करना है

एक निश्चित कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाले या उत्पन्न होने वाले कुछ विवादों का मध्यस्थता,

चाहे संविदात्मक हो या नहीं।

जे. जे. ए. आर. ए. टी. कम्पोजिट लिमिटेड बनाम एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

18. यह आगे प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थता समझौता में होना चाहिए

पक्षों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित और बयान के आदान-प्रदान में भी

- प्रतिरक्षा जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप लगाया जाता है

एक पक्ष और दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया।

19. इस प्रकार, आवेदन करते समय मामले के तथ्यों पर विचार करना।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान, की शक्तियाँ

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए न्यायालय पूर्ति के अधीन है

आवश्यक शर्तों में से अर्थात एक मध्यस्थता होनी चाहिए।

समझौता और यदि न्यायालय को पता चलता है कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं है

पक्षों के बीच मौजूद है, फिर के तहत शक्तियों का आह्वान करने के लिए

धारा 8 और उसका मुद्दा उत्पन्न नहीं होता है।

वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच जैसा कि लाइसेंस में डाला गया है समझौता और वही बाद में लागू नहीं किया जा सकता है

लेन-देन और उन व्यक्तियों के साथ जो पक्ष नहीं हैं मध्यस्थता समझौता जिसे मजबूर या संदर्भित नहीं किया जा सकता है

मध्यस्थता। अतः, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थता खंड,

बाध्यकारी प्रभाव केवल वादी और प्रतिवादी संख्या 1 पर लागू होता है।

और बाकी के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है, जो निश्चित रूप से नहीं हैं

मध्यस्थता समझौते के पक्षकार।

21. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा का योग और सार है -

कि मध्यस्थता का संदर्भ केवल तभी संभव है जब एक पक्षों के बीच वैध मध्यस्थता समझौता, लेकिन यदि विवाद

अन्य पक्षों के साथ मध्यस्थता के लिए पक्षों के बीच है मध्यस्थता समझौते के गैर-पक्ष भी, मध्यस्थता या यहां तक कि मध्यस्थ की नियुक्ति का संदर्भ केवल हो सकता है

केवल मध्यस्थता समझौते के पक्षों के संबंध में किया गया

और गैर-दलों को नहीं। " 4.2 . 1996 के अधिनियम की धारा 8 की आवश्यकताओं के संदर्भ में

वाणिज्यिक न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है यदि यह समझौते के विषय का एक हिस्सा था। वादी द्वारा दी गई राहतों में औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए वचन के रूप में परिवहन विलेखों को चुनौती देना शामिल था

तथ्य यह है कि लेनदेन संचालन के दौरान किया गया था

y उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त। इस प्रकार, यह इसके अंतर्गत नहीं आएगा

जिन अन्य मुकदमों में उक्त आदेश पारित किए गए थे, उनके बारे में विस्तार से नहीं बताया है, और मामले में शामिल मुख्य प्रश्न के संबंध में पूरी तरह से आवश्यक नहीं है।

न्यायनिर्णयन का दायरा। वाणिज्यिक न्यायालय ने आगे कहा कि मुद्दा

बंधक मनमाने ढंग से नहीं लिया जा सकता था। संक्षेप में, वाणिज्यिक न्यायालय का विचार यह था कि वादी द्वारा मांगी गई राहत संबंधित थी कई अन्य लेन-देनों के लिए जो एक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता के लिए प्रदान नहीं करते थे। यह देखा गया कि हस्तांतरण विलेख को चुनौती और अपीलार्थी के पक्ष में दस्तावेज जारी नहीं करने के लिए बैंक के खिलाफ मांगी गई राहत केवल निर्णय लेने में सक्षम होगी

प्रश्न लाइसेंस समझौते से जुड़ा नहीं था और प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलार्थी) के अलावा वादी और बाकी प्रतिवादियों के बीच कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं था। वाणिज्यिक न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि मध्यस्थता का आंशिक संदर्भ संभव नहीं होगा क्योंकि कार्रवाई के कारण को अलग-अलग में विभाजित नहीं किया जा सकता है भागों।

5. अपील में, वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, जिसके भौतिक पहलुओं पर व्यापक रूप से ध्यान देने के बाद

वाद में अभिवचन और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ और उद्धृत निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत भी, इस निष्कर्ष के साथ कि विवादों को मध्यस्थता और गैर-मध्यस्थता के संदर्भ में विभाजित करना उचित नहीं होगा

विवाद।

5.1 . किसी ऐसे मामले के संबंध में वाद के संबंध में जो आंशिक रूप से मध्यस्थता समझौते के भीतर और आंशिक रूप से बाहर आता है, और इसमें शामिल हैं गैर-पक्षकारों के साथ-साथ पक्षकारों, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 8

1996 इस न्यायालय के कई निर्णयों के संदर्भ में आकर्षित नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि लाइसेंस समझौते केवल थे

हालाँकि, यह एक स्वीकृत स्थिति थी कि उस संबंध में कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं था। इसके अलावा, त्रिपक्षीय समझौता स्वामित्व विलेख जमा करके बंधक के लिए एक स्वतंत्र समझौता था। यह आगे देखा गया था उच्च न्यायालय द्वारा, जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा भी देखा गया था कि अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के साथ-साथ औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष कुछ संपत्तियों को प्रतिवादी सं. 3 5 तक।

जे. जे. ए. आर. ए. टी. कम्पोजिट लिमिटेड v. वाद का उल्लेख करते हुए। एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी I और उन पक्षों द्वारा मांगी गई राहतों पर ध्यान दिया जिनके खिलाफ राहत मांगी गई थी और साथ ही

कार्रवाई के कारण के संबंध में निम्नलिखित शब्दों में लिखा गया है: -

" [8.5] वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर देखा गया है, मध्यस्थता खंड वाले लाइसेंस समझौते हैं, जिन्हें निष्पादित किया गया है। एक ओर वादी और मूल प्रतिवादी संख्या 1 के बीच। मान लीजिए, मूल प्रतिवादी Nos.2 से 5 तक मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं। के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है

मूल वादी, मूल प्रतिवादी संख्या 1 और मूल

प्रतिवादी सं. 2 (बैंक ऑफ बड़ौदा) जिसके तहत वादी और

मूल प्रतिवादी संख्या 2 ने राहत की प्रार्थना की है। यह एक

इस स्थिति को स्वीकार किया कि मूल वादी, मूल प्रतिवादी संख्या 1 और मूल प्रतिवादी संख्या 2 (बैंक ऑफ बड़ौदा) के बीच त्रिपक्षीय समझौते में कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। त्रिपक्षीय समझौते के तहत मूल प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वामित्व विलेख और उक्त त्रिपक्षीय समझौते को रखा है। इस प्रकार एक स्वतंत्र समझौता कहा जा सकता है और उक्त त्रिपक्षीय समझौते के तहत अचल वस्तुओं के संबंध में स्वामित्व विलेख जमा करके और चल वस्तुओं का अनुमान लगाकर बंधक रखा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त त्रिपक्षीय समझौते को मूल वादी के पक्ष में Rs.500 लाख के कॉर्पोरेट ऋण को मंजूरी देते समय निष्पादित किया गया था और शुल्क और बंधक को पक्ष में बनाया गया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा-मूल प्रतिवादी संख्या 2। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त बंधक के लंबित रहने और निर्वाह के दौरान और जैसा कि मूल वादी द्वारा गुप्त रूप से आरोप लगाया गया है और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के साथ-साथ औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष वचन का उल्लंघन करते हुए, मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने कुछ संपत्तियों (बंधक संपत्तियों) को मूल प्रतिवादी के पक्ष में बेच दिया है। शिकायत में उपरोक्त व्यापक तथ्यों और कथनों के आलोक में, कार्रवाई के कारण पर अभिवचन और

मांगी गई राहतों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

[8.6] वाणिज्यिक सिविल सूट No.90/2017 में शिकायत में, वादी

निम्नलिखित प्रतिवादियों के खिलाफ राहत मांगी है:

1. गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड

2. बैंक ऑफ बड़ौदा 3. रियल होम कॉर्पोरेशन-एक साझेदारी फर्म [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम/एस। राज निगम (पुष्टि करने वाली पार्टी)-साझेदारी फर्म

राजद बिल्डकॉन लिमिटेड मुकदमा वैध बकाया की वसूली, बिक्री विलेख रद्द करने और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर किया जाता है। मुकदमे में वादी ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की।

" (ए) यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1 को वादी को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। 32.66 इस डिक्री और इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले किसी भी अन्य आदेश के तहत मुकदमे की तारीख से 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ करोड़ रुपये;

(ख) यह माननीय न्यायालय निर्णय लेने और घोषित करने के लिए प्रसन्न हो सकता है।

पंजीकरण सं। 742 और 750 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी Nos.3 और 5 के पक्ष में निष्पादित किया गया, शून्य के रूप में और शून्य;

(ग) यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए प्रसन्न हो सकता है। 1 , 3 , 4 और 5 या उनके प्रतिनिधि, निष्पादक, या

प्रशासकों द्वारा वादी को परेशान करने या बाधित करने से

जब तक वादी दावा नहीं करता, तब तक मुक़दमे की संपत्ति का कब्जा

ऊपर पैरा (ए) और (बी) में किया गया पूरी तरह से निर्वहन किया जाता है; ((घ) यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 बैंक को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में मूल स्वामित्व पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जारी नहीं करने का निर्देश दे सकता है। 1 , 3 और/या 4;

(ई) यह माननीय न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने और घोषित करने के लिए प्रसन्न हो सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के बीच 23 जनवरी, 2015 को किया गया हस्तांतरण विलेख अमान्य है।

(च) यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दे सकता है कि वह लाइसेंस समझौते के तहत ए. सी. शीट और सीमेंट निर्माण इकाई से संबंधित या उसके संचालन के संबंध में वादी की सभी वर्तमान संपत्तियों को उनके पुस्तक मूल्य पर ले और यदि आवश्यक हो तो कब्जा सौंपने के समय उपलब्ध वर्तमान संपत्तियों के लिए वादी को भुगतान करे।

. 7] ई के कारण के संबंध में वाद में आवश्यक अभिवचन निम्नानुसार हैं:

जे. जे. ए. आर. ए. टी. कम्पोजिट लिमिटेड बनाम एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

1. कार्रवाई का कारण तब सामने आया जब प्रतिवादी संख्या 1, वादी के पीछे, हस्तांतरण विलेख में प्रवेश किया प्रतिवादी सं। 3 और प्रतिवादी सं. 5।

2. यहां तक कि मुकदमे की संपत्ति से आंशिक रूप से संबंधित मूल स्वामित्व विलेख और अन्य दस्तावेज भी प्रतिवादी संख्या 2 बैंक की हिरासत में हैं और इस तथ्य को दबाकर कि वादी का मुकदमे की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है, प्रतिवादी संख्या 1

4. कि यद्यपि वादी लाइसेंस समझौते, पूरक समझौते, त्रिपक्षीय समझौते और संशोधित त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर वाद संपत्ति के कब्जे में है, प्रतिवादी संख्या 1; वादी की पीठ के पीछे, प्रतिवादी संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 5 के साथ परिवहन विलेख में प्रवेश किया। 5. प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के साथ बिक्री विचार के साथ भी भाग नहीं लिया जो उसे प्रतिवादी संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 5 से सूट संपत्ति को सूचित करने के लिए प्राप्त हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 5।

6. कि मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण यह भी सामने आया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने पंजाब नेशनल को पुनर्भुगतान में चूक की थी बैंक और इसलिए किसी भी वित्तीय संस्थान से अपनी क्षमता में कोई भी ऋण प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था, और चूंकि उसे वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया, जिसके कारण वादी ने कॉर्पोरेट [2023] 5 एस. सी. आर. प्राप्त किया।

रु. का ऋण। 05.00 प्रतिवादी नंबर 2 से इसके नाम पर करोड़ और

उसी को प्रतिवादी नंबर 1 को आगे बढ़ाया।

7. यहां तक कि लाइसेंस समझौते की मुद्रा के दौरान भी, वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के लिए और उसकी ओर से श्रमिकों को मजदूरी, राजस्व कर, बिजली बिल, उत्पाद शुल्क आदि के लिए अन्य राशियों का भी भुगतान किया है।

8. कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है क्योंकि इन सभी के बदले में

वादी से वित्तीय सहायता, प्रतिवादी संख्या 1 ने त्रिपक्षीय समझौता किया और बाद में वादी और प्रतिवादी संख्या 2 बैंक के साथ त्रिपक्षीय समझौते में संशोधन किया, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 बैंक के साथ वाद संपत्ति को गिरवी रखा और कॉर्पोरेट ऋण के लिए गारंटर के रूप में खड़ा हुआ जो वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की मदद करने के लिए उसके नाम पर प्राप्त किया गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विशेष रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि जब तक कि सभी और

वादी के पूर्ण वैध बकाया का भुगतान कर दिया गया है, वादी मुकदमे की संपत्ति के कब्जे का आनंद लेगा।

9. कि मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण यह भी सामने आया है कि वादी को रुपये की वसूली करनी है। 32.66 प्रतिवादी संख्या 1 से कॉर्पोरेट ऋण और अन्य राशि के लिए करोड़, जो वादी प्रतिवादी संख्या 1 के पास आगे बढ़ गया है।

5.2 . जहाँ तक पैराग्राफ 33 (ए) के तहत पहली राहत की बात है,

संबंधित, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 ने रुपये की वसूली की मांग की। 32.66 उच्च न्यायालय ने कहा कि यह राहत उस अपीलार्थी के खिलाफ होगी जो लाइसेंस समझौते में मध्यस्थता खंड से बाध्य होगा। बाकी प्रार्थनाएँ प्रतिवादी नंबर 2-बैंक के खिलाफ थीं, और

उत्तरदाता सं। 3 5 तक-बाद के खरीदार, जो मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं थे। उच्च न्यायालय की राय में, यह तथ्य कि राहत सभी आपस में जुड़े हुए थे और कार्रवाई के कई कारणों के आधार पर, विवाद को विभाजित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने सुकन्या होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में निर्धारित कानून को लागू किया। लिमिटेड वी. जयेश एच. पांड्या

& एन. आर. : (2003) 5 एस. सी. सी. 531 और अन्य निर्दिष्ट निर्णय, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं थी। उच्च न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं: -

" [8.8] उपरोक्त और मुक़दमे में प्रार्थना की गई/मांगी गई नक्काशी को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि पैरा 33 (ए) के संदर्भ में प्रार्थना JJARAT COMPOSITE LIMITED v हो सकती है।

एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कहा जाता है कि वह मूल प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ है जो एक पक्ष है

लाइसेंस समझौते में निहित मध्यस्थता समझौता।

प्रार्थना को पैरा 33 (बी), 33 (सी) और 33 (ई) के संदर्भ में कहा जा सकता है -

मूल प्रतिवादी संख्या 1 और मूल प्रतिवादी Nos.3 के खिलाफ

5 तक। मूल प्रतिवादी Nos.3 से 5 तक मध्यस्थता के पक्षकार नहीं हैं।

समझौता और इस तरह वे तीसरे पक्ष हैं जिन्होंने आरोप लगाया है

उक्त संपत्ति को गुप्त रूप से खरीदा है। प्रार्थना में पैरा 33 (डी) और 33 (एफ) के शब्दों को इसके खिलाफ कहा जा सकता है

मूल प्रतिवादी संख्या 2-बैंक ऑफ बड़ौदा जो स्वीकार करता है कि नहीं है मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष। ये सभी राहतें हैं

आपस में जुड़े हुए और शिकायत में मांगी गई राहत आधार पर हैं

कार्रवाई के कई कारणों और कई राहतों के खिलाफ

प्रतिवादी और मुकदमे में विवाद को विभाजित करना संभव नहीं है वादी और मूल प्रतिवादी संख्या 1 (पक्षकारों के बीच)

मध्यस्थता समझौता) और मूल वादी और मूल

प्रतिवादी Nos.2 से 5 (मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-पक्ष)। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना।

सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड (सुप्रा) और अन्य के मामले में न्यायालय

वाणिज्यिक न्यायालय ने धारा 8 को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि की है। आवेदन और मुकदमे में मामले/विवाद को संदर्भित करने से इनकार करना

मध्यस्थता। ***

***

[8.13] वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

इसमें ऊपर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून

सुकन्या होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में। लिमिटेड (सुप्रा) और अन्य ऊपर उल्लिखित निर्णय, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान

वाणिज्यिक न्यायालय ने अस्वीकार करने में कोई त्रुटि की है

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत आवेदन और

विवाद/मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करना। तथ्यों के अनुसार यह

उचित, उचित और/या विवादों को विभाजित करना संभव नहीं है।

मनमाना और गैर-मनमाना। हम पूरी तरह से सहमत हैं

विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा अस्वीकार करते समय लिया गया दृष्टिकोण

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत आवेदन।

5.3 . तदनुसार, उच्च न्यायालय ने दोनों को खारिज कर दिया

और इस प्रकार वाणिज्यिक न्यायालय [2023] 5 एस. सी. आर. द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की।

1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदनों की अस्वीकृति में। इसलिए, ये अपीलें। 6. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने, पृष्ठभूमि पहलुओं के संदर्भ के बाद, दृढ़ता से तर्क दिया है कि वाणिज्यिक न्यायालय और

उच्च न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 8 में संशोधन के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदनों को अस्वीकार करने में कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी गलती की है और 3-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों सहित इस न्यायालय के बाद के निर्णयों के संदर्भ में तर्क दिया है कि विवादित निर्णय और आदेशों को दरकिनार किया जाना चाहिए और अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदनों को अनुमति दी जानी चाहिए।

6.1 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि विचाराधीन दीवानी मुकदमे और मध्यस्थता के लिए रेफरल के लिए आवेदन वर्ष 2015 में 1996 के अधिनियम की धारा 8 में संशोधन के बाद दायर किए गए थे, और इसलिए, वर्तमान मामला संशोधित धारा 8 द्वारा शासित है जिसके तहत और जिसके तहत, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, यहां तक कि विवाद की मध्यस्थता तय करने के लिए भी।

6.2 . विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि हालांकि उच्च न्यायालय ने सुकन्या होल्डिंग्स (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया लेकिन वही

बाद में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में संदेह और भेद किया गया है। इस संबंध में विद्वान वकील ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है जिनमें सुकन्या होल्डिंग्स में उक्त निर्णय लिया गया था।

विशिष्ट या स्पष्ट किया; और विशेष रूप से अमित लालचंद शाह और अन्य में निर्णय का उल्लेख किया है। वी. ऋषभ एंटरप्राइजेज और एएनआर। : (2018) 15 विद्या द्रोलिया और अन्य के मामले में एस. सी. सी. 678 और 3-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। वी. दुर्गा व्यापार निगमः (2021) 2 एससीसी 1. विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि अब, 1996 के अधिनियम की धारा 8 से संबंधित कानून की व्याख्या पूरी तरह से इसमें संशोधन को ध्यान में रखते हुए की गई है। विद्या द्रोलिया (ऊपर) के मामले के संदर्भ में विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इसमें दो प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए गए हैंः एक, कि केवल उन मामलों को संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए जो 'डेडवुड' हैं

मध्यस्थता; और दूसरा, कि जब भी संदेह हो, सही मार्ग मध्यस्थता को संदर्भित करना है। ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड पर निर्भरता को आगे बढ़ाना।

डिस्कवरी एंटरप्राइजेजः (2022) 8 एस. सी. सी. 42 और इंटरकांटिनेंटल होटल

वी. वाटरलाइन होटलः (2022) 7 एस. सी. सी. 662 में उन्होंने कहा है कि जब तक न्यायालय के समक्ष मुद्दा स्पष्ट रूप से मृत लकड़ी के अस्तित्व का संकेत नहीं देता है, तब तक न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्यस्थता जारी रहे। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने एक बल्कि प्रतिबंधात्मक व्याख्या गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड v को अपनाया है।

एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

1996 के अधिनियम के विवादित आदेश में, जो अलग रखे जाने के योग्य है।

6.3 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि 1996 के अधिनियम के अधिदेश ने पूरा होना सुनिश्चित किया होगा

किसी भी पक्ष के कहने पर संभावित धारा 34 की कार्यवाही में हस्तक्षेप की कम गुंजाइश के साथ एक वर्ष के भीतर कार्यवाही, लेकिन मामला केवल मुद्दों को तैयार करने के साथ लंबित रहा है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि लाइसेंसधारी इस पर बैठ रहे हैं

वर्ष 2005 के एक लाइसेंस समझौते के तहत संपत्ति, बिना कोई काम किए और अवैध रूप से और अनधिकृत रूप से रोक दी गई है अपीलार्थी, जो संपत्ति का स्वामी है, उससे निपटने से। विद्वान वकील ने इस बात को रेखांकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने विवाद के अस्तित्व से इनकार नहीं किया है, बल्कि केवल यह तर्क दिया है कि उक्त

बैंक की भागीदारी के कारण विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है, एक ऐसा तर्क जो कानूनी जांच का सामना नहीं कर सकता है।

लेन-देन और विभिन्न पक्षों को शामिल करना जहां अपीलार्थी को छोड़कर अन्य प्रतिवादियों में से कोई भी मध्यस्थता समझौते का पक्ष नहीं है जो है केवल दिनांकित 07.04.2005 मुख्य लाइसेंस समझौते में निहित है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विचाराधीन मुकदमों की कार्रवाई का कारण मध्यस्थता समझौते वाले लेनदेन से परे है जहां अपीलार्थी के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी का मामला भी आरोप लगाया गया है और विवाद भी बंधक से संबंधित है। इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि अपीलार्थी, प्रतिवादी संख्या 1 और बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े त्रिपक्षीय समझौते में मध्यस्थता खंड का अभाव है और विवाद उत्पन्न हो रहा है।

त्रिपक्षीय समझौते से और परिवहन के प्रश्न पत्रों से भी संबंधित मुख्य लाइसेंस समझौते दिनांक 07.04.2005 में मध्यस्थता समझौते के साथ सहसंबद्ध नहीं किया जा सकता है।

7.2 . विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि किसी मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए, पूरा विषय-मामला मध्यस्थता के अधीन होना चाहिए और सुकन्या होल्डिंग्स (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए, प्रस्तुत किया है कि मुकदमे के एक हिस्से को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और बाकी को जारी रखने की अनुमति देने के लिए मुकदमे को आंशिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह आगे [2023] 5 एस. सी. आर. रहा है।

प्रस्तुत किया कि विचाराधीन मुकदमों में दावा की गई राहत लाइसेंस समझौते के बाहर है और विभिन्न समझौतों/लेनदेन से संबंधित विवाद और उससे उत्पन्न कार्रवाई के कारण मध्यस्थता समझौते से परे हैं।

7.3 . विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि पूरक

दिनांकित 07.04.2005 समझौता अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच निष्पादित मूल समझौते दिनांकित 07.04.2005 का सहायक है, लेकिन उक्त त्रिपक्षीय समझौते का मुख्य समझौते के साथ कोई सहायक संबंध नहीं है और बैंक ऑफ बड़ौदा को एक पक्ष के रूप में रखने वाला त्रिपक्षीय समझौता मूल समझौते से स्वतंत्र है।

7.4 . विद्वान अधिवक्ता ने 2015 के अधिनियम में संशोधन पर भी प्रकाश डाला, जिसमें धारा 8 में यह परिकल्पना करते हुए संशोधन किया गया था कि यदि न्यायिक

प्राधिकरण की राय है कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है, फिर यह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को अंततः मध्यस्थ द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ देगा। न्यायाधिकरण। हालांकि, अगर न्यायिक प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि समझौता मौजूद नहीं है, तो निष्कर्ष अंतिम होगा और प्रथम दृष्टया नहीं। संशोधन में यह भी परिकल्पना की गई है कि एक निर्णायक निर्धारण होगा कि मध्यस्थता समझौता अमान्य है या नहीं।

7.5 . विद्वान वकील ने एस. एन. प्रसाद बनाम पर भी निर्भरता रखी है। मोनेट फाइनेंस लिमिटेड और अन्य। : (2011) 1 एससीसी 320 और डॉयचे

बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड बनाम तडूरी श्रीधर और अन्न। : (2011) 11 एस. सी. सी. 375 जिसमें गारंटरों को मध्यस्थता समझौते से बाध्य नहीं माना गया था क्योंकि वे त्रिपक्षीय समझौतों के लिए पक्षकार नहीं थे

मध्यस्थता खंड। विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि विचाराधीन विवाद के संबंध में मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व नहीं है।

8. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता व्यक्त की है और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड की जांच की है।

9. इन अपीलों में इस परेशान करने वाले प्रश्न से निपटने के लिए कि क्या 1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति देकर पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता थी, धारा 8 में निहित प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा, जैसा कि 2016 के अधिनियम 3 (w.r.e.f) द्वारा इसके संशोधन से पहले मौजूद था। 23.10.2015) और जैसा कि अभी मौजूद है।

9.1 . इससे पहले, 1996 के अधिनियम की धारा 8 को निम्नानुसार पढ़ा गया थाः

- जे. जे. ए. आर. ए. टी. कम्पोजिट लिमिटेड बनाम एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" 8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां एक

मध्यस्थता समझौता। - (1) एक न्यायिक प्राधिकारी जिसके समक्ष

एक मामले में एक कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि कोई पक्ष विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करते समय बाद में लागू नहीं होता है, तो पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मूल मध्यस्थता के साथ न हो।

समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति; (3) इसके बावजूद कि उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन किया गया है और यह मुद्दा न्यायिक के समक्ष लंबित है।

प्राधिकरण, एक मध्यस्थता शुरू या जारी किया जा सकता है और एक

मध्यस्थता पुरस्कार दिया गया "।

9.2 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधन के बाद, धारा 8, अब इस प्रकार हैः -

" 8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां एक

मध्यस्थता समझौता। - (1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष एक कार्रवाई एक मामले में लाई जाती है जो एक मध्यस्थता का विषय है

उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला व्यक्ति, इसलिए बाद में लागू नहीं होता है विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करने की तारीख,

तब, के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है जब तक कि

यह पाता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मूल मध्यस्थता के साथ न हो।

समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपिः

बशर्ते कि जहां मूल मध्यस्थता समझौता हो

या उसकी एक प्रमाणित प्रति उप-धारा (1) के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है, और उक्त समझौते या प्रमाणित प्रति को उस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा रखा जाता है, फिर, इस तरह से आवेदन करने वाला पक्ष ऐसी फाइल करेगा

मध्यस्थता समझौते की एक प्रति के साथ आवेदन और एक याचिका जिसमें न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह दूसरे पक्ष को मूल मध्यस्थता समझौते या इसके विधिवत प्रमाणित करने के लिए कहे

उस न्यायालय के समक्ष प्रतिलिपि।

(3) इसके बावजूद कि उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन किया गया है और यह मुद्दा न्यायिक के समक्ष लंबित है।

प्राधिकरण, एक मध्यस्थता शुरू या जारी किया जा सकता है और एक

मध्यस्थता पुरस्कार दिया गया "।

10. सुकन्या होल्डिंग्स (उपर्युक्त) के मामले में, अधिनियम की धारा 8 की प्रयोज्यता के अनुमान पर विचार करते हुए, जो उस समय मौजूद थी, इसने मध्यस्थता समझौते के विषय-वस्तु और विषय-वस्तु के सहसंबंध की आवश्यकताओं को रेखांकित किया और अन्य बातों के साथ-साथ,

निम्नानुसारः -

" 12. धारा 8 की व्याख्या के लिए, धारा 5 में कोई नहीं होगा

क्योंकि यह केवल इस बात पर विचार करता है कि अधिनियम के भाग I द्वारा शासित मामलों में, न्यायिक प्राधिकरण अधिनियम में इस तरह के प्रावधान के अलावा हस्तक्षेप नहीं करेगा। धारा 8 के अलावा, अधिनियम में कोई अन्य प्रावधान नहीं है कि एक लंबित मुकदमे में, विवाद को मध्यस्थ को भेजे जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है, यदिः (1) मध्यस्थता समझौते के पक्षों ने ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया है

विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करना; (2) किसी लंबित वाद में, जैसे -

आवेदन पर पहला बयान जमा करने से पहले दायर नहीं किया जाता है

विवाद का सार; या (3) ऐसा आवेदन साथ में नहीं है।

मूल मध्यस्थता समझौते या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति द्वारा। इसलिए इसका मतलब यह होगा कि मध्यस्थता अधिनियम किसी मामले में विवाद का फैसला करने के लिए दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है

जहां मध्यस्थता समझौते के पक्षकार धारा 8 की उप-धारा (1) और (2) के तहत उचित कदम नहीं उठाते हैं। अधिनियम से।

13. दूसरा, अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब विषय

वाद के मामले में मध्यस्थता का विषय शामिल है।

समझौते के साथ-साथ अन्य विवादों के मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना आवश्यक है। कारण या पक्षों को विभाजित करने और मुकदमे के विषय-वस्तु को पक्ष को भेजने का भी कोई प्रावधान नहीं है।

मध्यस्थ।

14. तीसरा, क्या करने की आवश्यकता है, इसका कोई प्रावधान नहीं है।

ऐसे मामले में जहां मुकदमे के कुछ पक्षकार पक्षकार नहीं हैं मध्यस्थता समझौता। इसके विपरीत, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 24 के तहत, मुकदमे के कुछ पक्ष यह आवेदन कर सकते हैं कि उनके बीच के अंतर वाले मामलों को जे. जे. ए. आर. ए. टी. कम्पोजिट लिमिटेड v.

एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मध्यस्थता और न्यायालय इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकते हैं बशर्ते कि इसे मुकदमे के बाकी विषय-विषय से अलग किया जा सके। इस धारा में यह भी प्रावधान किया गया है कि मुकदमा तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह उन पक्षों से संबंधित है जो इस तरह के आवेदन में शामिल नहीं हुए हैं। 15. धारा 8 में उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक भाषा हैः ऐसे मामले में जो मध्यस्थता समझौते का विषय है। अदालत ने कहा कि

16. अगला प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है-भले ही विवाद को आंशिक रूप से मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का कोई प्रावधान न हो, क्या अधिनियम की धारा 8 के तहत ऐसा पाठ्यक्रम संभव है। हमारे विचार में, धारा 8 की व्याख्या करना मुश्किल होगा जिसके तहत कार्रवाई के कारण का विभाजन, अर्थात, वाद का विषय या कुछ मामलों में मध्यस्थता समझौते के पक्षकारों और अन्य पक्षों के बीच वाद का विभाजन संभव है। यह एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया होगी जिस पर अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है। यदि किसी वाद के विषय-वस्तु के विभाजन पर विचार किया जाता, तो विधायिका ने इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति देने के लिए उचित भाषा का उपयोग किया होता। चूंकि भाषा में ऐसा कोई संकेत नहीं है, इसलिए न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लाई गई कार्रवाई के विषय के विभाजन की अनुमति नहीं है।

17. दूसरा, मुकदमे का दो भागों में विभाजन, एक का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है और दूसरा दीवानी न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना है। अदालत अनिवार्य रूप से कार्यवाही में देरी करेगी। विवाद के त्वरित निपटान और मुकदमे की लागत को कम करने का पूरा उद्देश्य इस तरह की प्रक्रिया से विफल हो जाएगा। यह पक्षकारों के लिए मुकदमेबाजी और उत्पीड़न की लागत को भी बढ़ाएगा और कई अवसरों पर दो अलग-अलग मंचों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णयों और आदेशों की संभावना है। "

11. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अमित लालचंद शाह (ऊपर) में समझाया गया है, सुकन्या में उपरोक्त निर्णय के बाद धारा 8 में संशोधन। होल्डिंग्स को 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह देखा गया था कि प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, न्यायिक प्राधिकरण पक्षों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं करेगा जब वह पाएगा कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह अमान्य है। यदि न्यायिक प्राधिकरण की राय है कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो वह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को अंततः मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ देगा।

12. विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं को पूरी तरह से उजागर किया। उक्त मामले में, मूल रूप से, संदर्भ तीन न्यायाधीशों की पीठ को दिया गया जब मामले में व्यक्त अनुपात

हिमांगी एंटरप्राइजेज बनाम। कमलजीत सिंह अहलूवालियाः (2017) 10 एस. सी. सी. 706, इस प्रभाव के लिए कि मकान मालिक-किरायेदार विवाद प्रावधानों द्वारा शासित हैं

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 मध्यस्थता योग्य नहीं था, इस पर संदेह था। संदर्भ पर विचार करते समय, न्यायालय ने अन्य परस्पर जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया कि मध्यस्थता का अर्थ क्या है और जब विवाद का विषय मध्यस्थता के माध्यम से हल करने में सक्षम नहीं होगा; और क्या मध्यस्थता का प्रश्न न्यायालय द्वारा संदर्भ स्तर पर या मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाएगा। 3-न्यायाधीशों की पीठ ने निश्चित रूप से हिमांगी एंटरप्राइजेज (ऊपर) और उस मामले में निर्णय को खारिज कर दिया।

संदर्भ में, विभिन्न अवलोकन किए और प्रासंगिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस प्रक्रिया में, सुकन्या होल्डिंग्स (उपरोक्त) में निर्णय को भी ध्यान में रखा गया था। उस संबंध में और संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता के संदर्भ में, हम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों और घोषणाओं का उल्लेख कर सकते हैं, मुख्य निर्णय में और निम्नलिखित अंशों में सहमति वाली राय में भीः

" 28. एक अन्य पहलू, जिसे पहले उजागर नहीं किया गया था, सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम में उक्ति से उत्पन्न होता है। जयेश एच. पांड्या [(2003) 5 एस. सी. सी. 531], धारा 8 के तहत एक आवेदन की अस्वीकृति को बरकरार रखने वाला एक निर्णय, इस आधार पर कि मध्यस्थता अधिनियम में कारणों या पक्षों को विभाजित करने और विभाजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी विषय

वाद/न्यायिक कार्यवाही का मामला, और मध्यस्थता समझौते के पक्षकार। मुकदमा एक "मामले" के संबंध में होना चाहिए जिसे पक्ष संदर्भित करने के लिए सहमत हुए हैं और जो जे. जे. ए. आर. ए. टी. कम्पोजिट लिमिटेड v के दायरे में आता है।

एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मध्यस्थता समझौता। "एक मामला" शब्द, जिसकी व्याख्या की गई थी, यह इंगित करेगा कि मुकदमे का पूरा विषय-मामला मध्यस्थता समझौते के अधीन होना चाहिए। मुकदमे में विषय-वस्तु या कार्रवाई के कारणों का विभाजन अनुमत नहीं है और इस पर विचार किया जाता है। इसी तरह, मुकदमे के पक्षकारों को मध्यस्थता द्वारा बाध्य होना चाहिए। समझौता, क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम में ऐसे तीसरे व्यक्तियों को मजबूर करने का कोई प्रावधान नहीं है जिन्होंने अदालतों तक पहुंच के अधिकार को छोड़ने और मध्यस्थता खंड द्वारा बाध्य होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है। यह पक्ष की स्वायत्तता और मध्यस्थता की सहमति की प्रकृति का उल्लंघन करेगा। ऐसे मामलों में द्विभाजन के परिणामस्वरूप एक वाद को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, एक का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा और दूसरा न्यायालय या न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यह पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा और अनिवार्य रूप से कार्यवाही में देरी करेगा और मुकदमे की लागत में वृद्धि करेगा, उत्पीड़न का कारण बनेगा और कई बार दो अलग-अलग मंचों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णयों और आदेशों को जन्म देगा। विषय के संबंध में कार्रवाई का कारण-विषय के दायरे से संबंधित है

मध्यस्थता समझौता और क्या विवाद को मध्यस्थता द्वारा हल किया जा सकता है। आम दलों के प्रदर्शन से संबंधित दूसरा जनादेश

मध्यस्थता प्रक्रिया की अंतर्निहित सीमा जो सहमति और पारस्परिक है, एक ऐसा पहलू जिसकी हम बाद में जांच करेंगे।

****

****

****

31. हम स्पष्ट रूप से पटेल एंग में संविधान पीठ के फैसले के कथन से बंधे हैं। लिमिटेड [एस. बी. पी. एंड कंपनी. बनाम. पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दायरा और दायरा समान है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन को विवादों या दावों को विस्तार से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है और विवाद के विषय या व्यापक रूप को संक्षेप में संदर्भित कर सकता है। हालाँकि, जहाँ न्यायिक कार्यवाही शुरू की जाती है और लंबित होती है, वहाँ दावों का विशिष्ट विवरण।

और विवादों का आम तौर पर अनुरोध किया जाता है और इसलिए, अदालत या न्यायिक प्राधिकरण को इन विवरणों का लाभ होता है। वहाँ एक है

एक गैर-मध्यस्थ दावे और गैर-मध्यस्थ विषय-मामले के बीच अंतर। पूर्व मध्यस्थता समझौते के दायरे के कारण और तब भी उत्पन्न हो सकता है जब दावा मध्यस्थता के माध्यम से हल करने में सक्षम न हो। आम तौर पर विषय-वस्तु की गैर-मध्यस्थता कानून में गैर-मध्यस्थता से संबंधित होगी। इसके अलावा, सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड में निर्णय।

(पी) लिमिटेड बनाम। जयेश एच. पांड्या, (2003) 5 एस. सी. सी. 531] को पढ़ना होगा [2023] 5 एस. सी. आर.

क्लोरो कंट्रोल्स में इस न्यायालय के बाद के फैसले के साथ (भारत) (पी) लिमिटेड बनाम। सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक. (2013) 1 एससीसी 641।

****

****

****

154.3 . सामान्य नियम और सिद्धांत, की दृष्टि में

2016 के अधिनियम 3 और 2019 के अधिनियम 33 से स्पष्ट विधायी जनादेश, और पृथकता और क्षमता-क्षमता का सिद्धांत है

कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकरण है। न्यायालय को धारा के उपखंड (i), (ii) या (iv) के संदर्भ में निर्णय के बाद गैर-मध्यस्थता के पहलुओं पर "दूसरी बार देखने" की शक्ति प्रदान की गई है। 34 (2) (क) या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (ख) का उपखंड (i)।

154.4 . शायद ही कभी एक डिमरर के रूप में अदालत हस्तक्षेप कर सकती है

तथ्यों का विरोध किया जाता है; जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष विलंब की रणनीति अपनाता है या मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को बाधित करता है। यह न्यायालय के लिए एक लघु विचारण या विस्तृत समीक्षा में प्रवेश करने का चरण नहीं है ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हड़प लिया जा सके, लेकिन एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता की पुष्टि करना और उसे बनाए रखना।

****

****

****

238. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम ध्यान देते हैं कि अधिनियम की धारा 8 यह आदेश देता है कि किसी मामले को कानून की अदालत द्वारा मध्यस्थता के लिए तब तक नहीं भेजा जाना चाहिए जब तक कि यह न पाए कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं है। खंड का विश्लेषण करते समय खंड में उपयोग की जाने वाली नकारात्मक भाषा को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। अदालत को एक मामले को संदर्भित करना चाहिए यदि जे. जे. ए. आर. ए. टी. कम्पोजिट लिमिटेड v की वैधता है।

एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मध्यस्थता समझौते का निर्धारण प्रथम दृष्टया आधार पर नहीं किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है। इसलिए, अदालत के लिए नियम है "जब संदेह हो, तो संदर्भ लें"।

कुछ पक्ष समूह कंपनी सिद्धांत या सद्भावना आदि के तहत एक विशेष मध्यस्थता से बंधे होते हैं, एक बहु-पक्षीय मध्यस्थता में जटिल तथ्यात्मक प्रश्न उठते हैं, जिन्हें संभालने के लिए न्यायाधिकरण पर सबसे अच्छा छोड़ दिया जाता है। इस मोर्चे पर धारा 8 में संशोधन संदर्भ के स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप को और कम करने के लिए विधायी इरादे को भी इंगित करता है। 240. अदालतें, धारा 8 के तहत एक मामले का विश्लेषण करते समय, उन मुद्दों की पहचान करने का विकल्प चुन सकती हैं जिनके लिए मध्यस्थता समझौते की वैधता से संबंधित निर्णय की आवश्यकता होती है। यदि न्यायालय प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते की अयोग्यता पर निर्णय नहीं दे सकता है, तो न्यायालय को आगे किसी भी विश्लेषण को रोकना चाहिए और सभी मुद्दों को निपटाने के लिए मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना चाहिए।

****

****

****

244 : इससे पहले कि हम निष्कर्ष पर पहुँचें, के संबंध में प्रश्न 1 इस प्रकार हैः

244.1 . न्यायिक हस्तक्षेप के संबंध में अधिनियम की धारा 8 और 11 का समान दायरा है। 244.2 . आम तौर पर, विषय-वस्तु मध्यस्थता का निर्णय अधिनियम की धारा 8 या 11 के स्तर पर नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह एक स्पष्ट मामला नहीं है।

244.3 . अदालत को, धारा 8 और 11 के तहत, किसी मामले को मध्यस्थता के लिए या मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए संदर्भित करना पड़ता है, जैसा भी मामला हो, जब तक कि किसी पक्ष ने एक मजबूत मामले को संक्षेप में चित्रित करके वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया (सारांश निष्कर्ष) मामला स्थापित नहीं किया है कि वह इस तरह के निष्कर्ष का हकदार है।

244.4 . अदालत को एक मामले को संदर्भित करना चाहिए यदि इसकी वैधता मध्यस्थता समझौते का निर्धारण प्रथम दृष्टया आधार पर नहीं किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है अर्थात "जब संदेह हो, तो संदर्भ लें"।

244.5 . प्रथम दृष्टया वैधता की जांच करने के लिए अदालत का दायरा

मध्यस्थता समझौते में केवल निम्नलिखित शामिल हैं:

244.5. 1 . क्या मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में था? या 244.5. 2 . क्या मध्यस्थता समझौता इसमें निहित था

पत्रों का आदान-प्रदान, दूरसंचार आदि।

244.5. 3 . क्या मुख्य संविदात्मक सामग्री आवश्यक है मध्यस्थता समझौता पूरा हुआ?

244.5. 4 . दुर्लभ अवसरों पर, क्या विषय-विवाद का विषय है

क्या यह मनमाना है? "

13. तेल और प्राकृतिक गैस निगम (उपरोक्त) के मामले में,

ई. आर. 3-इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने अनिवार्य रूप से समूह के सिद्धांत और मध्यस्थता में अहंकार परिवर्तन के सिद्धांत के अनुप्रयोग से निपटा है और एक पक्ष जो मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध को मंजूरी नहीं देता है।

फिर भी खंड द्वारा बाध्य है यदि वह पक्ष एक का 'परिवर्तन अहंकार' है

जो मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है। टिप्पणियाँ

अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उस मामले से निम्नानुसार उपयोगी निष्कर्ष निकाला जा सकता है:

" 38. अहं परिवर्तन सिद्धांत के अनुप्रयोग की व्याख्या करते हुए

मध्यस्थता, बॉर्न भी नोट करता है:

" लगभग सभी क्षेत्राधिकारों के अधिकारियों का मानना है कि एक पक्ष

जिसने मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध के लिए सहमति नहीं दी है फिर भी खंड द्वारा बाध्य हो सकता है यदि वह पक्ष एक 'परिवर्तन' है

एक इकाई का अहंकार 'जिसने निष्पादित किया, या अन्यथा एक पक्ष था,

समझौता। यह एक महत्वपूर्ण, लेकिन असाधारण, प्रस्थान है

मूल सिद्धांत. कि प्रत्येक कंपनी के एक समूह में

कंपनियाँ (एक अपेक्षाकृत आधुनिक अवधारणा) एक अलग कानूनी इकाई है।

जिनके पास अलग-अलग अधिकार और देनदारियाँ हैं।

*

*

*

" कंपनियों के समूह का सिद्धांत सिद्धांतों के समान है

एजेंसी या निहित सहमति, जिसके द्वारा निगमित संबद्धताएँ अलग-अलग कानूनी संस्थाओं के बीच निष्कर्ष के लिए आधार प्रदान करते हैं

39. हाल ही में, जॉन फेलास ने एक बंधन के सिद्धांत पर विस्तार से बताया जे. जे. ए. आर. ए. टी. कम्पोजिट लिमिटेड V के चश्मे से मध्यस्थता समझौते के गैर-हस्ताक्षरकर्ता।

एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

एस्टोपेल का सिद्धांत। उन्होंने मध्यस्थता की व्याख्या में पक्ष की स्वायत्तता और सहमति के प्रतिस्पर्धी विचारों के खिलाफ प्रत्यक्ष बहिष्कार के सिद्धांत को लागू करने के पीछे के तर्क को स्थापित किया। समझौते। फेलास ने कहा कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष ऐसे पक्ष को अनुबंध के लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष बहिष्कार के सिद्धांत से बाध्य हो सकते हैं, जबकि उसी के तहत मध्यस्थता करने के दायित्वों को अस्वीकार कर सकते हैं:

" बहिष्करण सिद्धांत के कम से कम दो अलग-अलग प्रकार हैं।

जो गैर-हस्ताक्षरकर्ता संदर्भ में लागू होता है: " प्रत्यक्ष लाभ 'एस्टोपल सिद्धांत और' आपस में जुड़े 'एस्टोपल सिद्धांत। प्रत्यक्ष लाभ सिद्धांत किसी भी अवरोध की पहचान रखता है। सिद्धांत-एक पक्ष को असंगत स्थिति लेने से प्रतिबंधित करना

या "अनुबंध पर भरोसा करके जब यह अपने लाभ के लिए काम करता है और जब यह अपने नुकसान के लिए काम करता है तो इसे अनदेखा करके" "इसे दोनों तरीकों से रखने की कोशिश करना।" टेपर रियल्टी कं. वी. मोज़ेक टाइल

कं. [टेपर रियल्टी कं. बनाम। मोज़ेक टाइल कंपनी, 259 एफ सप 688 (एस. डी. एन. वाई. 1966)]। प्रत्यक्ष लाभ सिद्धांत उस मूल सिद्धांत को दर्शाता है जो एक पक्ष को एक अनुबंध के तहत अधिकारों का दावा करने से रोकता है, लेकिन साथ ही, उसी अनुबंध में मध्यस्थता करने के दायित्व को अस्वीकार करता है।

*

*

*

इसके विपरीत, आपस में जुड़ा एस्टोपेल सिद्धांत ऐसा नहीं लगता है कि

क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कोई लाभ प्राप्त किया गया था, बल्कि हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता के बीच विवाद की प्रकृति पर

हस्ताक्षरकर्ता, और, विशेष रूप से क्या "गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता में जिन मुद्दों को हल करना चाहता है, वे मध्यस्थता के साथ जुड़े हुए हैं।

इस समझौते पर कि मध्यस्थता [हस्ताक्षरकर्ता पक्ष] ने हस्ताक्षर किए हैं. परस्पर जुड़े हुए मध्यस्थता सिद्धांत का केंद्रीय उद्देश्य मध्यस्थता प्रक्रिया की प्रभावकारिता की दृढ़ता स्पष्ट है जब कोई एक परस्पर जुड़े हुए मध्यस्थता मामले के विशिष्ट तथ्य पैटर्न को देखता है। [जॉन फेलास, "गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ मध्यस्थता करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं को मजबूर करना", न्यूयॉर्क लॉ जर्नल (28-3-2022)]

(जोर दिया गया)

40. यह तय करने में कि क्या कंपनियों के समूह के भीतर एक कंपनी जो मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी इसके द्वारा बाध्य होगी, कानून निम्नलिखित कारकों पर विचार करता है:

((क) पक्षकारों का पारस्परिक आशय;

((ii) एक पक्ष के साथ एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता का संबंध जो एक

((ग) विषय-वस्तु की समानता;

((iv) लेन-देन की समग्र प्रकृति; और

(v) अनुबंध का निष्पादन। " "

14. इंटरकांटिनेंटल होटल्स ग्रुप (ऊपर) के मामले में,

न्यायालय ने अनिवार्य रूप से विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) के उच्चारण पर आगे बढ़ते हुए मध्यस्थता समझौते पर गैर-मुद्रांकन या मुद्रांकन के निहितार्थ के न्यायशास्त्र को निपटाने के लिए बड़ी पीठ के गठन की आवश्यकता को स्वीकार किया है। हालाँकि, इस न्यायालय ने यह प्रावधान किया कि बड़ी पीठ के निर्णय तक, मामले पूर्व-नियुक्ति पर हैं।

मंच को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। इस संबंध में बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

15. यह तुरंत स्पष्ट है कि टिप्पणियों और उच्चारणों में

उपरोक्त का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

16. जैसा कि देखा गया है, इस मामले में कई लेन-देन हुए थे।

प्रतियोगी प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने हमारे सामने प्रासंगिक समझौतों, अनुबंध करने वाले पक्षों, समझौते के उद्देश्य और उसमें मध्यस्थता खंड की उपलब्धता को सारणीबद्ध रूप में रखा है। हम मुख्य रूप से एक नेत्र दृश्य की सुविधा के लिए उसी को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं

विचाराधीन लेन-देन की विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

अनुबंध करना

इसका उद्देश्य

सीनियर की तारीख

मध्यस्

थता

नहीं। समझौता

समझौ

ता

अनुबंध

पार्टियाँ

इसमें

शामिल हैं

गुजरात

लीज और

1. 07.04.2005

लाइसेंस

मध्यस्

थता

कम्पोजिट

खंड.

सीमित,

का समझौता

एक कार्य इकाई

कंपनी

एक में प्रवेश किया

के लिए

विनिर्माण

के साथ समझौता

ए.

और उत्पादन

ए. सी. दबाव

बुनियादी ढांचा

सीमित।

पाइप।

लीज और

इसमें

नहीं है

2 . 07.04.2005

गुजरात

लाइसेंस

मध्यस्

थता

कम्पोजिट

सीमित,

का समझौता

खंड.

एक कार्य इकाई

कंपनी

एक में प्रवेश किया

के लिए

विनिर्माण

के साथ समझौता

और उत्पादन

ए.

ए. सी. दबाव

बुनियादी ढांचा

सीमित और

पाइप।

एवीपीएल।

गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड v. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 में नहीं है

3 .

06.07.2006

प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वीकृत ऋण मध्यस्थता

और 2.

से रु. 500 लाखों से

खंड.

उत्तरदाता संख्या 1

इसे सुरक्षित करने के लिए

ऊपर का ऋण

इसके अलावा अन्य

शर्तें और

निगमित

गारंटी।

याचिकाकर्ता सहमत है

याचिकाकर्ता और

23.01.2008

इस

में नहीं है

4 .

उत्तरदाता संख्या 1 ने कहा कि शीर्षक

मध्य

स्थता

और 2.

भूमि के कार्य

खंड.

नहीं होगा।

किसी को भी हस्तांतरित किया गया

अन्य पार्टी के दौरान

की लम्बितता

समझौते

बीच में निष्पादित किया गया

एम/एस ए

आधारभूत संरचना और

मेसर्स गुजरात

कम्पोजिट लिमिटेड

इस

में नहीं है

परिवहन विलेख

5 .

याचिकाकर्ता और

23.01.2015

बीच में

उत्तरदाता

मध्य

स्थता

नंबर 3

याचिकाकर्ता और

खंड.

प्रत्यर्थी संख्या 3

इस

में नहीं है

परिवहन विलेख

याचिकाकर्ता और

6 .

23.01.2015

उत्तरदाता संख्या 4 के बीच

मध्य

स्थता

याचिकाकर्ता और

खंड.

और 5.

उत्तरदाता सं. 4

और 5

17. इस प्रकार, 07.04.2005 दिनांकित प्रमुख समझौते को छोड़कर, कोई भी नहीं

अन्य समझौतों में कोई भी मध्यस्थता खंड शामिल था, भले ही वे एक ही संपत्ति से संबंधित हों और इसमें अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 1 भी शामिल हों। बाद के लेन-देन में अन्य पक्ष भी शामिल थे जैसे कि दिनांक 1 का त्रिपक्षीय समझौता जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 बैंक ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को ऋण स्वीकृत किया और फिर स्वामित्व विलेखों की जमा राशि से निपटने के लिए उक्त त्रिपक्षीय समझौते के पूरक के रूप में। इसी तरह, दिनांक 23.01.2015 के हस्तांतरण के अन्य कार्यों में अपीलार्थी और अन्य प्रतिवादी शामिल हैं।

17.1 . पक्षों के लेन-देन की उपरोक्त स्थिति, जब

मुकदमे में दावा की गई राहतों और उक्त राहतों से संबंधित कार्रवाई के कारण के संदर्भ में जांच की गई, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से देखा गया और यहाँ ऊपर निकाला गया है, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि [2023] 5 एस. सी. आर.

1996 के अधिनियम की धारा 8 के संशोधन और संशोधित धारा 8 की व्याख्या में इस न्यायालय के बाद के निर्णयों के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ अपीलार्थी के लाभ के लिए नहीं हैं। यह सरल कारण है कि मूल लाइसेंस समझौते दिनांक 07.04.2005 और बैंक दिनांक 06.07.2006 और 23.01.2008 से जुड़े त्रिपक्षीय समझौते के लिए ऐसा कोई संयोजन प्रदान नहीं किया जा सकता है।

17.2 . मुकदमे के पूरे विषय के संबंध में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं है, और जब मुकदमों में दावा की गई मूल राहत मध्यस्थता के बाहर आती है मूल अनुज्ञप्ति समझौते के खंड में, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी दुर्बलता से ग्रस्त या इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतीत नहीं होता है।

18. भले ही दूरस्थ वंशावली के संदर्भ में, मूल लाइसेंस समझौते को संविदात्मक संबंधों की उत्पत्ति कहा जाता है अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1, जो वास्तव में विवाद के संबंध में मध्यस्थता समझौते की उपलब्धता की ओर नहीं ले जाता है

प्रश्न, जो त्रिपक्षीय समझौते से उत्पन्न होता है और जिसे उक्त त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ के बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता है और

इसमें सभी पक्षों को शामिल किए बिना। दूसरे शब्दों में, इस संबंध में मध्यस्थता सहित कोई विवाद समाधान प्रक्रिया नहीं की जा सकती थी त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के संदर्भ के बिना और बैंक-प्रतिवादी संख्या 2 को शामिल किए बिना मुकदमे के विषय के लिए। यह है।

त्रिपक्षीय समझौते और उसके संशोधित खंड का संदर्भ, जिसमें मध्यस्थता का प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों में, त्रिपक्षीय समझौते के पूर्वजों से अपीलार्थी द्वारा वांछित परिणाम नहीं मिलता है। 18.1 . इसलिए, विद्या द्रोलिया (ऊपर) में प्रतिपादित सिद्धांतों पर भी, मध्यस्थता के संदर्भ के लिए वर्तमान अपीलार्थी की प्रार्थना

धारा 8 के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है।

गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड v. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

19. जहाँ तक वाणिज्यिक न्यायालय दिनांक 06.12.2017 के समक्ष ज्ञापनों के आधार पर प्रस्ताव, जैसा कि प्रत्यर्थी सं. 3

5 तक (बाद के खरीदारों) और अपीलार्थी के संबंध में, उस आधार पर की गई प्रस्तुतियाँ अपीलार्थी के मामले को किसी भी प्रकार से नहीं लेती हैं।

आगे। जैसा कि देखा गया है, उक्त ज्ञापन में, प्रत्यर्थी सं। 3 5 ने कथित रूप से कहा कि यदि उनसे संबंधित विवाद का समाधान किया गया था मध्यस्थता कार्यवाही, उन्हें उस पर कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरी ओर, अपीलार्थी ने सुझाव दिया कि त्रिपक्षीय संशोधन

समझौता लाइसेंस समझौते के संदर्भ में था और यह सहमति हुई थी कि प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलार्थी) के समय तक रुपये की राशि का भुगतान करना। 5 वादी को एक करोड़ रुपये, अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख बैंक के पास रहेंगे। अपीलार्थी ने सुझाव दिया कि इस दृष्टिकोण के साथ कि पक्षों के बीच विवाद को मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा हल किया जाए, सभी विवादों को खुला रखते हुए, वे रुपये की उक्त राशि जमा करेंगे। 5 यह कि इस तरह से 'प्रतिवादी संख्या 2 के साथ विवाद समाप्त हो जाएगा' और फिर बैंक, जिसे उनकी हिरासत में स्वामित्व विलेख सौंप दिया गया था, उसे अदालत में जमा करेगा और अदालत इसे तब तक सीलबंद लिफाफे में रखेगी जब तक कि अन्य पक्षों के विवादों का समाधान नहीं हो जाता।

19.1 . अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन से वांछित कानूनी प्रभाव आने की संभावना नहीं थी। यह सरल कारण है कि भले ही

अपीलार्थी ने रुपये की उक्त राशि जमा की। 5 न्यायालय में, बैंक सीधे तौर पर न्यायालय में स्वामित्व विलेख जमा करने के लिए बाध्य नहीं था जैसा कि अपीलार्थी द्वारा अनुमान लगाया गया था; और फिर, ऐसा कोई कारण नहीं था कि न्यायालय इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने और स्वामित्व विलेख को अपने अधिकार में रखने के लिए बाध्य था।

किसी अन्य मंच पर कार्यवाही पूरी होने तक अभिरक्षा। दूसरे शब्दों में, यदि मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना था, तो न्यायालय के लिए स्वामित्व विलेख को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं होगा। यह होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 06.12.2017 का उक्त ज्ञापन केवल मध्यस्थता की मांग करने का एक हताश प्रयास था

इस तथ्य से अवगत है कि दीवानी मुकदमे में विवाद का मूल त्रिपक्षीय समझौते से संबंधित है जिसमें बैंक एक समान भागीदार था और बैंक की अनुपस्थिति में मध्यस्थता कार्यवाही में कोई प्रभावी निर्णय नहीं दिया जा सकता था। में बैंक की उपस्थिति की आवश्यकता

इस तरह के अस्पष्ट सुझाव से मामले को दूर नहीं किया जा सकता था जैसा कि अपीलार्थी द्वारा 06.12.2017 पर दायर ज्ञापन में कहा गया है। 19.2 . प्रतिवादी सं. द्वारा दूसरा ज्ञापन। 3 5 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उक्त उत्तरदाताओं की सहमति, बाद में [2023] 5 एस. सी. आर.

मध्यस्थता के संदर्भ में खरीदार त्रिपक्षीय समझौते में मध्यस्थता खंड नहीं डाल सकते थे और उनका ज्ञापन मामले को मध्यस्थता के लिए प्रेरित नहीं कर सकता था, विशेष रूप से विवाद के मूल और इसकी स्पष्ट गैर-मध्यस्थता को देखते हुए क्योंकि यह त्रिपक्षीय समझौते से संबंधित है। 20. तथ्यों और वर्तमान मामले की परिस्थितियों और लेन-देन की प्रकृति के बारे में यहाँ ऊपर चर्चा की गई है।

मुकदमे में दावा की गई राहतों की प्रकृति के साथ-साथ मध्यस्थता के संदर्भ के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार करने में वाणिज्यिक न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को भी दोष नहीं दिया जा सकता है।

21. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ये अपील विफल हो जाती हैं और इसलिए खारिज कर दी जाती हैं। कोई लागत नहीं।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे (सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)